RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2025-27
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

मई–2025 | वर्ष – 17 | अंक : 04 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख –
रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी–5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम–सराय, औरंगाबाद, पो.–बहादुरगढ़,जिला–झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.–रामटौरिया, जिला–छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट–III, बदरपुर, नई दिल्ली–44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.–1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला–अलवर–301001,
मो. : 09887512360, 0144–3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.–08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला–महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें –
भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.–33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784

स्त्रियाँ राजकुमार को अपने वश में न ला सकीं

1. उदायी के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गये। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया।

2. लेकिन अपनी भ्रू–भंगिमाओं, अपने अक्षि–कटाक्षों, अपनी मुस्कराहटों, अपने कोमल अंग–संचालनों के बावजूद उन षोड़शियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा।

3. लेकिन पुरोहित उदायी की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम–मद के कारण उनका आत्म–विश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया।

4. तब स्त्रियाँ अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथिनी–समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्ति–राज की हो।

5. उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता या जैसे सूर्य–देवता अपने दिव्यभवन में अप्सराओं से घिरा हो।

6. उनमें से कुछ ने लड़खड़ाने से उसे अपने छातियों से दबाया।

7. कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से आती छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से 'कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया।

8. कुछ दूसरियों ने अपने सुरा–गंध, रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया–मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनों।

9. कुछ दूसरियों ने जिनके वस्त्र इतरों से भीगे थे– उसे आज्ञा देने की तरह कहा– ''हमारी पूजा यहाँ करो।''

10. दूसरी नीलाम्बरा सुरा से मत्त होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ के बाहर करके खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो।

11. कुछ दूसरी घंघरूओं का निनाद करती हुई इधर–उधर घूमती थी और अपन अर्ध–आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी।

12. कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश–सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी।

13. कुछ किसी पद्य सरोवर से आई थी, हाथों में पद्य थे, आँखे भी पद्यो के ही समान थीं, वे पद्य–पाणि की तरह उस पद्य–मुख राजकुमार के पास खड़ी थीं।

14. एक दूसरी ने उचित हाव–भाव के साथ एक गीत गया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी– अरे! तुम किस भ्रम में पड़े हो।

15. दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्ररूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख–मुद्रा की नकल बनाई।

16. एक दूसरी जिसकी छाती पूरी उभरी थी और जिसके कानों की बालियाँ हवा में झूम रही थीं जोर से हँसी और बोली– ''यदि सकें तो मुझे पकड़े।''

17. कुछ दूसरियों ने उसे फूल–मालाओं के बंधन में बाँधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किन्तु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया।

18. एक दूसरी से उसे बुलाने के लिये, एक आम्र–वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया– ''यह किसका फूल है?''

19. एक दूसरी ने आदमी की–सी चाल–ढाल बनाकर कहा–''हे स्त्री–जित् जा इस पृथ्वी को जीत।''

20. एक दूसरी ने एक नील–पद्य की गंध लेते हुए और अपनी गोल–गोल आँखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को सम्बोधित किया –

21. ''स्वामी ! मधु–गन्धी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र–फल को देखें। स्वर्ण–पिजर में बन्द की तरह कोकिल यहाँ गाती है।

22. ''यहाँ आयें और इस अशोक–वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहाँ मधु–मक्खियाँ ऐसे गुज्जार करती है मानों वे अग्नि–दग्ध हों।

23. ''यहाँ आयें और आम्र–लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें मानों कोई पीतवस्त्रधारिणी किसी श्वेत अस्त्र आच्छादित पुरूष से लिपटी हो।

24. ''अंगूरी–रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुरवक वृक्ष को देखें जो कि इस प्रकार झुका हुआ है, मानों स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो!

25. ''इस तरूण अशोक को आकर देखें, जिसकी नई–नई शाखायें चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है र की लज्जा से गड़ा जाता हो।

26. ''इस झील को ही देखें, जिसके तट पर सिन्दवार उगी है, मानों श्वेत वस्त्र पर एक सुन्दर रमणी लेटी हुई है।

27. 'स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो। पानी में वह चकवी आगे–आगे जाती है और उसका पति पीछे–पीछे मानों वह उसका दास हो।

28. ''मत्त कोकिल का संगीत सुनो, और दूसरों का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए।

29. ''अच्छा होता यदि वसन्त ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप से भी होता और यह अपने आपको सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पण्डितों के विचार न होतें''

30. इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरूद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती।

31. इतने आक्रमण किये जाने पर भी वह संयतेन्द्रिय न प्रसन्न हुआ, न मुस्कराया।

32. उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्रचित से विचार करता रहा।

33. ''इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकतीं कि यौवन चंचल है। वार्धक्य समस्त सौन्दर्य का नाश कर देखा।''

34. इस प्रकार यह बे–मेल महीनों वर्षो चलता रहा। किन्तु इसका कुछ फल न हुआ।

साभार :
भगवान बुद्ध और उनका धर्म
पेज संख्या 17 से 19 तक
डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन

हमारे महापुरूषों का संघर्ष समाज व्यवस्था की बराबरी के लिये था – मां. कांशीराम

सागर (विशेष प्रतिनिधि द्वारा) आरक्षण शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरू रविदास जयंती के अवसर पर गत् 18 फरवरी 2003 को सागर (मध्य प्रदेश) के स्थानीय कजलीवन मैदान में विशाल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य कांशीराम जी थे। इस विशाल जनसभा को मान्य कांशीराम जी के अलावा प्रदेश बसपा अध्यक्ष एवं विधायक श्री फूलसिंह बरैया जी, प्रदेश बसपा उपाध्यक्ष एवं नेता विधायक दल डॉ. आई.एम.पी. वर्मा प्रदेश महासचिव एवं विधायक श्रीमती विद्यावती पटेल, प्रदेश राजनीतिक सलाहकार डॉ.पी.पी. चौधरी पूर्व विधायक श्री रामलखन पटेल, पूर्व विधायक श्री चतरीलाल बराहदिया, पूर्व विधायक जयकरण साकेत, पूर्व विधायक डॉ. नरेश सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक श्री जवाहरसिंह रावत, प्रदेश महासचिव श्री नर्मदा प्रसाद अहिरवार, प्रदेश संयुक्त सचिव श्री बैजनाथ कुशवाह, श्री नसीम खान आदि ने सम्बोधित किया। सागर जोन प्रभारी श्री भगवती प्रसाद जाटव, जिलाध्यक्ष सागर श्री नरेश बौद्ध, सागर जिले के ग्रामीण अध्यक्ष श्री रमाकांत यादव, शहर अध्यक्ष श्री बालकृष्ण जाटव ने कार्यक्रम की व्यवस्था देखी। कार्यक्रम का संचालन रीवा जोन प्रभारी श्री प्रदीप पटेल ने किया।

इस आम सभा में शामिल होने के लिये एक दिन पहले से ही जिले के बाहरी क्षेत्रों से भारी संख्या में पार्टी कार्यकत्ताओं का आना शुरू हो गया था। कुछ कार्यकत्ताओं ने तो रात आमसभा वाले मैदान में ही गुजारी। सम्भाग के सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना व छत्तरपुर से हजारों लोग, विभिन्न साधनों ट्रैक्टर, ट्राली जीपों, बसों तथा साईकिल रैली के रूप में सभा में शामिल होने आये। इस सभा में करीब एक लाख लोग शामिल हुये। सभा स्थल पर बसपा से सम्बन्धित ग्रन्थ तथा अन्य सामग्री के अनेक स्टाल भी लगाये गये थे। मान्य कांशीराम जी सभा में लगभग 12 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचे।

संत शिरोमणि गुरू रविदास जी की जयंती के अवसर पर कजलीवन मैदान सागर में आयोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुये मान्य कांशीराम जी ने कहा कि इस मैदान में भारी संख्या में इकट्ठे हुये मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप लोग अपने दुख का अंत करने के लिये मौसम खराब होने के बावजूद भी काफी संख्या में इकट्ठे हुये हैं। मुझे काफी लम्बे समय से तीन महीने से ज्यादा समय हो गया है। मेरी टांग का ऑपरेशन होने के बाद मैं, जो हमेशा देश के कोने–कोने में घूमता रहता था, तीन महीने तक नहीं घूम सका हूँ। आपके मध्य प्रदेश में भी पिछले तीन महीने से मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन इस मौके पर जब आप लोग इस क्षेत्र में, जहां आप लोग भारी संख्या में रहते हैं, आप लोग इकट्ठे हुये हैं और मैं अपने डॉक्टरों से इजाजत लेकर आप लोगों के बीच पहुंचा हूँ। डॉक्टरों ने इजाजत इस शर्त पर दी है कि मुझे ज्यादा देर के लिये खड़ा नहीं होना है। जो मेरी टांग का ऑपरेशन तीन महीने के कारण मुझे बिस्तर पर लेटने के लिये मजबूर किया है, वो अब बढ़ना नहीं चाहिये। अभी भी मैं 16 फरवरी को पट्टी कराकर यहां पर पहुंचा हूँ। कल 19 फरवरी है और मैने दिल्ली में लखनऊ से डॉक्टरों को बुलाया है, दोबारा पट्टी करने के लिये। इसलिये साथियों, मेरी इस मुश्किल को समझ कर आप लोग मुझे माफ करेंगे। इस मौके पर भी मैं ज्यादा देर के लिये खड़ा होकर अपनी बात नहीं कह पाऊँगा। बरैया जी ने काफी समय लेकर बहुत सी बात आप लोगों के सामने रखी है। इसलिये मुझे खुशी है कि मुझे अब ज्यादा देर आप लोगों के सामने खड़ा होना नहीं पड़ेगा। जो बात मुझे कहनी थी, वो बात इस क्षेत्र के साथियों ने अपने आप उस बात को समझा है।

मान्य कांशीराम जी ने आगे कहा कि इस मंच से बार–बार कहा जा चुका है कि आज हम लोग गुरू रविदास जी की जयंती मनाने के लिये मौसम खराब होने के बावजूद भी यहां भारी संख्या में इकट्ठे हुये हैं, और आप लोगों को बार–बार बताया जा चुका है कि गुरू से ज्यादा समय बीत गया है। जब रविदास जी जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज की इज्जत आबरू के लिये उन्होंने अपना मुंह खोला। 500 साल पहले उन्होंने कहा – ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिलै सबन को अन्न, और ऊँच–नीच की भावना को खत्म करके बराबरी का एहसास कराके, और बराबरी का समाज बनाना है।'' आपके समाज में रविदास चमारा ने 500 साल पहले बराबरी की बात बोलने की हिम्मत की, जो हिम्मत आज का चमार समाज नहीं कर पा रहा है। हमारे महापुरूषों ने जिनके सम्मान में हम लोग आज यहां इकट्ठे हुये हैं, उन्होंने 500 साल पहले यह हिम्मत की, कि बराबरी के आधार पर इस देश की समाज व्यवस्था होनी चाहिये।

रविदास जी किस किस्म का राज चाहते थे। आज अछूत लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अभी–अभी बरैया जी ने बताया कि एक अछूत आदमी जिसकी 13 साल की बहन के साथ बलात्कार हुआ। उसका भाई आज भी नेताओं के डर के कारण अपनी बहन की इज्जत–आबरू के लिये उठकर खड़ा होने को तैयार नहीं है। गुरू रविदास जी को पैदा हुये 500 साल से ज्यादा समय बीत गया है। जब रविदास जी जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज की इज्जत आबरू के लिये उन्होंने अपना मुंह खोला। 500 साल पहले उन्होंने कहा – ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिलै सबन को अन्न, और ऊँच–नीच की भावना को खत्म करके बराबरी का एहसास कराके, और बराबरी का समाज बनाना है।'' आपके समाज में रविदास चमारा ने 500 साल पहले बराबरी की बात बोलने की हिम्मत की, जो हिम्मत आज का चमार समाज नहीं कर पा रहा है। हमारे महापुरूषों ने जिनके सम्मान में हम लोग आज यहां इकट्ठे हुये हैं, उन्होंने 500 साल पहले यह हिम्मत की, कि बराबरी के आधार पर इस देश की समाज व्यवस्था होनी चाहिये।

आपने आगे कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपने–अपने समय में अपने समाज की बात कहीं, बराबरी की बात कहीं। रविदास जी बनारस (उ.प्र.) में पैदा हुए, कबीर जी बनारस में पैदा हुये, कबीर जी ने भी कहा – एक नूर से सब जग पैदा हुआ। पैदा होते वक्त न कोई नीच है, न कोई ऊँच है। पैदा होते वक्त सब बराबर होते हैं। एक नूर सब जग उपजे न कोई नीच न कोई ऊँच है। इसलिये आप आपको ऊँचे समझने वालों को उन्होंने चैलेंज किया कि–भई अपने आपको ऊँच कहने वाले लोग, आप कहां से पैदा हुए। अपने आपको ऊँचा कहने वाले लोग ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य लोग आप कहां से पैदा होते हैं। उन्होंने ब्राह्मण को चैलेंज किया कि अगर तू ब्राह्मणी से पैदा हुआ है, तो चमार चमारी से पैदा हुआ है। अगर तू ऊँच है तो किसी ऊँची जगह से पैदा होना था। लेकिन हम तो देख रहे कि चमार चमारी से पैदा होता है तो ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा होता है, और ज्यादातर पैदा करने वाली चमार समाज की महिला होती है। देहातों में जो दाई होती होती है। आजकल भी ज्यादातर देहातों में पैदा करने जाती हैं वो ज्यादातर चमार समाज की महिलायें होती है, तो चमार समाज की महिलाओं को पता होता है कि ब्राह्मण कहां से आता है किसी को मालूम हो न हो लेकिन चमार समाज की महिलाओं को जरूर मालूम होता है। इसलिये हमारे समाज के जो महापुरूष पैदा हुये हैं उन्होंने अपने–अपने समय में अपनी बुजदिली को किनारे रखकर दिलेरी से काम लिया है, और 500 साल पहले रविदास जी ने कहा – ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न–छोट बड़ो सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न।''

पैदा होता है, और ज्यादातर पैदा करने वाली चमार समाज की महिला होती है। देहातों में जो दाई होती होती है। आजकल भी ज्यादातर देहातों में पैदा करने जाती हैं वो ज्यादातर चमार समाज की महिलायें होती है, तो चमार समाज की महिलाओं को पता होता है कि ब्राह्मण कहां से आता है किसी को मालूम हो न हो लेकिन चमार समाज की महिलाओं को जरूर मालूम होता है। इसलिये हमारे समाज के जो महापुरूष पैदा हुये हैं उन्होंने अपने–अपने समय में अपनी बुजदिली को किनारे रखकर दिलेरी से काम लिया है, और 500 साल पहले रविदास जी ने कहा – ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न–छोट बड़ो सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न।''

आपने आगे कहा कि अभी बरैया जी फोटो दिखाकर बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में 80 साल की बुढ़िया और 2 साल की बच्ची को घास खाना पड़ा और राजस्थान में तो बार–बार सुनते हैं कि आदिवासियों को बहुत बड़े पैमाने में घास खाना पड़ता है। मध्य प्रदेश से ज्यादा राजस्थान के आदिवासियों को जो संख्या में रहते हैं, को घास खाना पड़ता है। यह खबर तो मीडिया ने देशवासियों को बताया है। घास क्यों खाना पड़ रहा है, क्योंकि 55 साल से कांग्रेस का राज रहा है। किन लोगों का राज रहा है, जिनको हम राजा

बनाते रहे हैं। राजा कैसे बनता है ? हमारे वोट के आधार पर राजा बनता है। अगर कांग्रेस का राजा बना है तो वो हमारे समाज के वोट से बना है, अगर बीजेपी का राजा बना है तो वह हमारे समाज के वोट से बना है। अगर हमारे वोट से राजा बनता है तो भई आप लोग अपने बहुजन समाज का राजा क्यों नहीं बनाते।

मान्य कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुई अपनी एक सभा का जिक्र करते हुये कहा कि 10–15 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ एक जगह है, जहां मेरी मीटिंग चल रही थी, उसी दिन एक यादव (रामनरेश यादव) जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, वो कांग्रेस में प्रवेश कर रहा था, जिस दिन आजमगढ़ में उनकी मीटिंग चल रही थी, उसी जगह मेरी भी मीटिंग थी। कांग्रेसी नेता उस जगह को घेरे हुये थे, कुछ कांग्रेसी नेता मेरी मीटिंग को सुनने आये थे। मेरी सभा में उपस्थित हमारे लोगों के पास पानी भी नहीं था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक तरफ कांग्रेस की मीटिंग में यादव और कुछ चमार समाज के कांग्रेसी लोग कोका कोला पी रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरी मीटिंग में पानी भी नहीं था। मेरी मीटिंग को देखने के लिये कुछ कांग्रेसी नेता आये, जो जीप में सड़क पर खड़े थे। तो मैंने अपने कुछ आदमी छोड़ दिये कि भई पता करो ये कांग्रेसी लोग मेरी मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। वो कांग्रेसी बोलने लगे कि देखो भई उधर कोका कोला चल रही है और इधर किसी को पानी भी नहीं मिल रहा है। धूप में सड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सब चमार हैं। तो एक आदमी ने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि ये सारे चमार हैं। वो बोले कि इस आदमी (कांशीराम) ने इन चमारों का दिमाग खराब कर दिया है। उधर एक चमार समाज का आदमी सड़क पर जूता ठोक रहा था, जूता रिपेयर कर रहा था। तो एक पेपर वाले ने उससे पूछा कि भई आप किसको वोट देंगे ? उसने बोला कि हम अपनी पार्टी को देंगे। पेपर वाले ने आगे पूछा कि तेरी पार्टी का निशान क्या है ? जूता रिपेयर करने वाला बोला कि – हाथी तेरे को नहीं मालूम हमारी पार्टी का निशान हाथी है। हम हाथी को वोट देंगे। पेपर वाले ने बोला कि हाथी तो कांशीराम की पार्टी का निशान है। जूता रिपेयर करने वाला बोला कि हाँ, हम उसी के आदमी हैं। फिर पेपर वाले ने आगे बोला कि – तुम्हारे लिये कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया ? बाबू जगजीवनराम को इतनी देर से मंत्री बनाया है और भी बहुत से चमार समाज के लोगों को मंत्री बनाया, और बड़े–बड़े अधिकारी बनाये हैं। तब वह जूता रिपेयर करने वाला बोला कि – इससे मुझे क्या लेना है। मैं तो तेरे सामने इधर जूता ठोक रहा हूँ। अगर बाबूजी को कांग्रेस वालों ने मंत्री बनाया है, और चमार समाज के कुछ लोगों को बड़े–बड़े अधिकारी बनाया है तो मुझे उससे क्या लेना है। फिर उस पत्रकार ने पूछा कि तू फिर कांशीराम को वोट क्यों देगा ? उस जूता रिपेयर करने वाले ने बोला कि इसलिये दूंगा कि कांशीराम जो हमें दे सकता है, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता है। मैं आप से पूछता हूँ कि कांशीराम हमें इस देश का राजपाट देना चाहता है। क्या कोई दूसरी पार्टी है, जो हमें इस देश का राजा बनाना चाहती है। क्या कांग्रेस हमें इस देश का राजपाट देना चाहती है ? बाकि तो छोड़ो वो जगजीवनराम को भी नहीं देना चाहती है। मैं तो इधर जूता ठोक रहा हूँ लेकिन वो बाबू जगजीवनराम तो उधर मौज–मस्ती कर रहे हैं वो किसलिये करा रही है ? ये चमार समाज के लोग के वोट इकट्ठे करके उनके हवाले करते हैं, और बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को चमार समाज के बहुदल प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में आने से रोकते हैं, और जो बड़े–बड़े अधिकारी, जिनकी आप (पत्रकार) बात रहे हैं उनका भी यही काम है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो मान–सम्मान के लिये हमारे लिये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़े–बड़े अधिकारी और कांग्रेस के नेता बाबू जगजीवनराम आदि का काम था कि बाबा साहेब अम्बेडकर चमार बहुल प्रदेश में नहीं आना चाहिये। क्योंकि कहीं चमार समाज के लोग भी बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के साथ न जुड़ जायें। अब तक तो सिर्फ महार समाज के लोग ही बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जुड़े हुये हैं

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

इसलिये कांग्रेस वालों को डर है कि अगर बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर चमार समाज बहुल प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में आ गये तो कहीं चमार समाज के लोग भी उनके साथ न जुड़ जायें। इसलिये बाबू जगजीवनराम और समाज के बड़े–बड़े अधिकारियों को यह कांग्रेस रिश्वत दे रही है। इसलिये बाबू जगजीवनराम और बड़े–बड़े अधिकारियों का काम है, अपना उल्लू सीधा करने के लिये कांग्रेस को टिकाये रखना। और इसको टिकाये तभी रख सकते हैं, जब चमार समाज के साधारण लोगों को कांग्रेस का पिछलग्गू बनाये रखें। क्योंकि चमार समाज के साधारण लोगों के देश में करोड़ो वोट हैं, जिनके वोट से कांग्रेस राज कर रही है, और जिनके वोट से बी.जे.पी. राज करेगी, या दूसरी मनुवादी पार्टियां राज करेंगी। इसलिये चमार समाज के साधारण लोगों को गुमराह किये रखने के लिये कांग्रेस बाबू जगजीवन राम को इस्तेमाल करती है और समाज के बड़े–बड़े अधिकारियों को इस्तेमाल करती है। उस वक्त जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, जो आज मध्य प्रदेश में हो रहा है। बार–बार मुझे सुनने को मिलता कि मध्य प्रदेश में समाज के बड़े–बड़े अधिकारी अपना लालच पूरा करने के लिये वो राग अलाप रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की सरकार बनी रहेगी, दिग्विजय सिंह की सरकार बनी रहेगी, दिग्विजयसिंह का दलित एजेण्डा कामयाब होगा। आज दलित एजेण्डे की बात दिग्विजय सिंह कर रहा है। जिस दलित एजेण्डे की बात हमेशा बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने की है। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के अलावा और किसी ने नहीं की है। जिस दलित एजेण्डे की बात बाबू जगजीवन राम ने रोकी है, समाज के बड़े–बड़े अधिकारियों ने रोकी है, वो दलित एजेण्डे की बात अगर हमेशा की है तो बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने की है। 1932 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें बाबू जगजीवन राम के आका गांधी जी ने जहां दलितों को रोकने की बात की, दलित एजेण्डे को रोकने की बात की, लेकिन अंग्रेजों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मानकर उनका दलित एजेण्डा माना, और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपरेट इलेक्टोरेट (पृथक निर्वाचन) अर्थात् दलितों के लिये अलग से वोट की व्यवस्था होनी चाहिये और दलितों की सरकार दलितों के एम.पी. दलितों के एम.एल.ए. सिर्फ दलित समाज के वोटों से ही बनने चाहिये। अंग्रेजों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मानकर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, और गांधी जी ने उधर इंग्लैण्ड में तो बात मान ली, लेकिन भारत वापस आकर मरण व्रत रख दिया कि अगर दलितों के नेता मेम्बर पार्लियामेन्ट, एम. एल.ए. अगर दलितों के वोट स चुने गये तो ऐसे देश में मैं रहना नहीं चाहूँगा, मैं मर जाऊँगा। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यह दलित एजेण्डा कामयाब नहीं होने दूंगा। दलितों का एजेण्डा हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर ने हुक्मरानों (अंग्रेज़ों) के सामने रखा। लेकिन जब आज मैं मध्य प्रदेश में आता हूँ मुझे बार–बार सुनने को मिलता है कि दिग्विजय सिंह दलित एजेण्डे की बात कर रहा है। आज तक मैंने सुना था कि बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों की बात करते थे, दलितों के लिये एजेण्डा बनाते थे। वो दलितों का एजेण्डा अंग्रेज हुक्मरानों के सामने रखा, और अंग्रेजों ने उसे माना और यहां कांग्रेस के नेता गांधी जी ने उसका विरोध किया, पूरी कांग्रेस ने विरोध किया। अंग्रेजों को मजबूर होकर बाबा साहेब अंबेडकर को सलाह देनी पड़ी कि भई आपके लोग देहातों में थोड़ी थोड़ी संख्या में रहते हैं, मनुवादी लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर आपके लोगों को उन मनुवादी लोगों ने खत्म कर दिया तो जिन दलितों के लिये आप एजेण्डा बना रहे हैं,उनको क्या फायदा होगा, इसलिये आप मनुवादियों की बात मान जाओ। बाबा साहेब अम्बेडकर को पूना में मनुवादियों की बात माननी पड़ी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि कही गांधी जी कोई शैतानी न कर दें। इसलिये अंग्रेजों ने गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में बन्द कर दिया। और गांधी जी को जेल से तब रिहा किया जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर साईन कर दिये। बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूर होकर पूना पैक्ट पर साईन करने पड़े। हो सकता है अब आप लोग कुछ लोग यह भी न जानते हों कि पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट था बाबा साहेब अम्बेडकर का दलित एजेण्डा जिसको 1932 में गांधी जी खा गये। 1932 में अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में इसलिये बंद कर दिया कि कहीं ये दलितों को न मरवा दें। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर साईन कर दिये तो तब गांधी जी को जेल में छोड़ो। चलो गांधी जी बात पूरी हो गई। गांधी जी दलितों के एजेण्डे को खा गये।

पार्लियामेन्ट, एम.एल.ए. अगर दलितों के वोट स चुने गये तो ऐसे देश में मैं रहना नहीं चाहूँगा, मैं मर जाऊँगा। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यह दलित एजेण्डा कामयाब नहीं होने दूंगा। दलितों का एजेण्डा हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर ने हुक्मरानों (अंग्रेज़ों) के सामने रखा। लेकिन जब आज मैं मध्य प्रदेश में आता हूँ मुझे बार–बार सुनने को मिलता है कि दिग्विजय सिंह दलित एजेण्डे की बात कर रहा है। आज तक मैंने सुना था कि बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों की बात करते थे, दलितों के लिये एजेण्डा बनाते थे। वो दलितों का एजेण्डा अंग्रेज हुक्मरानों के सामने रखा, और अंग्रेजों ने उसे माना और यहां कांग्रेस के नेता गांधी जी ने उसका विरोध किया, पूरी कांग्रेस ने विरोध किया। अंग्रेजों को मजबूर होकर बाबा साहेब अंबेडकर को सलाह देनी पड़ी कि भई आपके लोग देहातों में थोड़ी थोड़ी संख्या में रहते हैं, मनुवादी लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर आपके लोगों को उन मनुवादी लोगों ने खत्म कर दिया तो जिन दलितों के लिये आप एजेण्डा बना रहे हैं,उनको क्या फायदा होगा, इसलिये आप मनुवादियों की बात मान जाओ। बाबा साहेब अम्बेडकर को पूना में मनुवादियों की बात माननी पड़ी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि कही गांधी जी कोई शैतानी न कर दें। इसलिये अंग्रेजों ने गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में बन्द कर दिया। और गांधी जी को जेल से तब रिहा किया जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर साईन कर दिये। बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूर होकर पूना पैक्ट पर साईन करने पड़े। हो सकता है अब आप लोग कुछ लोग यह भी न जानते हों कि पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट था बाबा साहेब अम्बेडकर का दलित एजेण्डा जिसको 1932 में गांधी जी खा गये। 1932 में अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में इसलिये बंद कर दिया कि कहीं ये दलितों को न मरवा दें। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर साईन कर दिये तो तब गांधी जी को जेल में छोड़ो। चलो गांधी जी बात पूरी हो गई। गांधी जी दलितों के एजेण्डे को खा गये।

मान्य कांशीराम जी ने आगे कहा कि दस साल के सोच–विचार के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक सोच और बनाई कि दलित समाज के लोग करते क्या हैं ? दलित समाज के लोग मजबूर होकर हरेक गंदे से गंदा काम करते हैं। महार समाज के लोग करते क्या हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर महार समाज से थे और महार समाज के लोग करते क्या हैं ? वो साफ–सफाई काम काम करते हैं। साफ–सफाई करने वालों को, गंद साफ करने वालों को इस देश का समाज उन्हें अछूत बनाकर रखता है और गंद फैलाने वालों को ऊँचा मानता है। जो लोग गंद फैलाते है उनको ऊँच कहते हैं, जो लोग गंद साफ करते है उनको इस देश मे नीच कहते हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने ''पूना पैक्ट'' पर तो 1932 में साईन कर दिये लेकिन 1934 मे महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक जगह है– ''यवला'', जहाँ एक महार परिषद बुलाई। उस महार पहले कबीर जी ने ब्राह्मण से कहा कि– ''जे भई तू ऊँच है, मैं नीच हूँ, तू ऊँच है तो तू ब्राह्मणी से पैदा कैसे हो गया, जैसे मैं पैदा हो गया हूँ वैसे ही तू पैदा हो गया जैसे मैं औरत के पेट से पैदा हो गया हूँ वैसे ही तू पैदा हो गया है। अगर तू ऊँच था तो तुझे किसी और जगह से आना था, कोई और रास्ता ढूंढ़ लेता।'' कबीर जी ने ब्राह्मण से पूछा कि ''यदि तू ऊँच है तो तू ''आन बाट'' (और किसी दूसरे रास्ते) से क्यों नहीं आया। जिस रास्ते से मैं आया, उसी तू आया है। तो फिर मैं नीच और तू ऊँच किस तरह हो गया।'' इसका जवाब ब्राह्मण आज तक नहीं दे पाया, न ठाकुर दे पाया जो अपने आपको ऊँच कहते हैं वो आजतक इस बात का जवाब नहीं दे पाये। लेकिन आज चमार समाज के लोगों की उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि– ''तू आन बाट से क्यो नहीं आया ?'' आज जैसे बरैया जी ने बोला है कि हमारे चमार समाज का एक भाई अपनी छोटी बहन की इज्जत ओर आबरू बचाने के लिए वो मुँह नहीं खोल सकता है। ऊँच–नीच की बात के खिलाफ जो 500 साल पहले रविदास जी और कबीर जी ने मुँह खोला, लेकिन आज के हमारे चमार समाज के भाई 500 साल के बाद भी इतना दब्बू हैं इतना डरपोक है कि आज भी मुँह नहीं खोल रहा है। लेकिन चमार समाज में कम से कम कोई लोग तो पैदा हुए हैं जो मुँह खोलने वाले हैं । जैसे बरैया जी ने कहा कि–''भई जिस तरह चमार समाज का हमारा एक भाई अपनी छोटी बहन की इज्जत–आबरू के लिए मुँह नहीं खोल रहा है तो आज मैं उसको अपनी बहन बनाता हूँ उसको मैं अपनी बहन समझकर मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ।'' अब कोई तो मुँह खोल रहा है।

परिषद में महार समाज के लोगों को इकठ्ठा किया और महार समाज के लोगों को इकठ्ठा करके घोषणा की कि ''मैं इस देश में हिन्दू धर्म में पैदा हो गया हूँ क्योंकि यह मेरे वश में नहीं था कि कहाँ पैदा होना हैं, मै एक महारिन के पेट से पैदा हो गया। एक महारिन ने, एक साफ–सफाई करने वाली महिला ने मुझे जन्म दिया, जो मेरे वश में नहीं था। लेकिन मै आज घोषणा करता हूँ कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ लेकिन हिन्दू रहते हुए मरूगाँ नहीं। क्योंकि पैदा होना मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन अब तो पैदा हो गया हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं इस धर्म को छोड़ दूँगा। जिसमें पैदा होते ही आदमी नीच हो जाता है और पैदा होते ही ऊँच हो जाता है।'' इस ऊँच–नीच के खिलाफ गुरु रविदास जी ने, रविदास चमारा ने 500 साल पहले आवाज उठाई और 500 साल पहले कबीर जी ने ब्राह्मण से कहा कि– ''जे भई तू ऊँच है, मैं नीच हूँ, तू ऊँच है तो तू ब्राह्मणी से पैदा कैसे हो गया, जैसे मैं पैदा हो गया हूँ वैसे ही तू पैदा हो गया जैसे मैं औरत के पेट से पैदा हो गया हूँ वैसे ही तू पैदा हो गया है। अगर तू ऊँच था तो तुझे किसी और जगह से आना था, कोई और रास्ता ढूंढ़ लेता।'' कबीर जी ने ब्राह्मण से पूछा कि ''यदि तू ऊँच है तो तू ''आन बाट'' (और किसी दूसरे रास्ते) से क्यों नहीं आया। जिस रास्ते से मैं आया, उसी तू आया है। तो फिर मैं नीच और तू ऊँच किस तरह हो गया।'' इसका जवाब ब्राह्मण आज तक नहीं दे पाया, न ठाकुर दे पाया जो अपने आपको ऊँच कहते हैं वो आजतक इस बात का जवाब नहीं दे पाये। लेकिन आज चमार समाज के लोगों की उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि– ''तू आन बाट से क्यो नहीं आया ?'' आज जैसे बरैया जी ने बोला है कि हमारे चमार समाज का एक भाई अपनी छोटी बहन की इज्जत ओर आबरू बचाने के लिए वो मुँह नहीं खोल सकता है। ऊँच–नीच की बात के खिलाफ जो 500 साल पहले रविदास जी और कबीर जी ने मुँह खोला, लेकिन आज के हमारे चमार समाज के भाई 500 साल के बाद भी इतना दब्बू हैं इतना डरपोक है कि आज भी मुँह नहीं खोल रहा है। लेकिन चमार समाज में कम से कम कोई लोग तो पैदा हुए हैं जो मुँह खोलने वाले हैं । जैसे बरैया जी ने कहा कि–''भई जिस तरह चमार समाज का हमारा एक भाई अपनी छोटी बहन की इज्जत–आबरू के लिए मुँह नहीं खोल रहा है तो आज मैं उसको अपनी बहन बनाता हूँ उसको मैं अपनी बहन समझकर मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ।'' अब कोई तो मुँह खोल रहा है।

आपने आगे कहाँ कि जैसे मायावती जी, जो उत्तर सीटें रिजर्व (आरक्षित) थी, जो छत्रपति शाहू जी महाराज ने 100 साल पहले 1902 में इन लोगों के लिए आरक्षण की व्यस्था शुरु की, जिसके कारण ये लोग पढ़–लिख गये, महात्मा फुले के कारण ये लोग पढ़े–लिखे, उन्हें छत्रपति शाहू जी महाराज के कारण ये नौकरियाँ मिलने लग गयी। आज हमारे समाज के ये बड़–बड़े अधिकारी, आज ये कांग्रेस और बी.जे.पी. के नेता हम लोगों को बेवकूफ समझकर कहते हैं कि पढ़ने लिखने का मौका हम लोगों ने आपको दिया। लेकिन माली समाज में पैदा हुए महात्मा ज्योतिबा फुले सारी जिन्दगी संघर्ष करते रहे कि हमें भी पढ़ने–लिखने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को तैयार किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पढ़ने–लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हिन्दू समाज कहता है– ''ढ़ोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी – ये सब ताडन के अधिकारी ।'' जैसे शूद्र और नारी को पढ़ना–लिखना मना है इस समाज व्यवस्था के कारण, जिसके खिलाफ हम लोग उठकर खड़े हुए है जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे बुजुर्ग अपने–अपने समय में उठकर खड़े हुए, उन्होंने हमारे समाज की बात को आगे बढ़ाया, आज हम उठकर खड़े हुए हैं। हम क्यों उठकर खड़े हुए हैं कि भई ये जो मनुवादी समाज व्यवस्था है, ये इन्सान और इन्सानियत के हित की व्यवस्था नहीं हैं। ये ऊँच–नीच की व्यवस्था इस देश में नहीं चलेगी। हमारे समाज के दब्बू लोगों के कारण यह व्यवस्था चलती रही जब तक वो दब्बू रहे। जब तक उनके नेता दब्बू रहे तब तक ये व्यवस्था चलती रही। आज हम लोग उठकर दब्बूपन के खिलाफ खड़े हुए है, हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों अपने दब्बूपन को छोड़ो । जब तक आप लोग इन मनुवादी व्यवस्था को चलाने वालों के पीछे लगते रहोगे, जब तक आप दब्बू रहोंगे, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक आप अपने समाज की इज़्ज़त–आबरू मान–सम्मान की रक्षा नहीं कर सकेंगे।

प्रदेश की मुख्यमंत्री है। मायावती कौन है ? मायावती एक चमारी है, जो देश के सबसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं । आप लोगों को तो मालूम होगा। अगर दिग्विजय सिंह ठाकुर है तो मायावती चमारी है उस चमारी ने, जो देश के प्रदेश, उत्तर प्रदेश कर मुख्यमंत्री है जिस दिन वह मुख्यमंत्री बनी उसके दूसरे दिन ही ऑर्डर निकाल दिया कि अब सारे देश की बात तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वालों को करना होगा। लेकिन मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए दलितों के लिए तो सीटें रिजर्व (आरक्षित) थी, जो छत्रपति शाहू जी महाराज ने 100 साल पहले 1902 में इन लोगों के लिए आरक्षण की व्यस्था शुरु की, जिसके कारण ये लोग पढ़–लिख गये, महात्मा फुले के कारण ये लोग पढ़े–लिखे, उन्हें छत्रपति शाहू जी महाराज के कारण ये नौकरियाँ मिलने लग गयी। आज हमारे समाज के ये बड़–बड़े अधिकारी, आज ये कांग्रेस और बी.जे.पी. के नेता हम लोगों को बेवकूफ समझकर

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

कहते हैं कि पढ़ने लिखने का मौका हम लोगों ने आपको दिया। लेकिन माली समाज में पैदा हुए महात्मा ज्योतिबा फुले सारी जिन्दगी संघर्ष करते रहे कि हमें भी पढ़ने–लिखने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को तैयार किया। उन्होंने कहा कि महलिाओं को भी पढ़ने–लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हिन्दू समाज कहता है– ''ढ़ोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी – ये सब ताडन के अधिकारी ।'' जैसे शूद्र और नारी को पढ़ना–लिखना मना है इस समाज व्यवस्था के कारण, जिसके खिलाफ हम लोग उठकर खड़े हुए है जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे बुजुर्ग अपने–अपने समय में उठकर खड़े हुए, उन्होंने हमारे समाज की बात को आगे बढ़ाया, आज हम उठकर खड़े हुए हैं। हम क्यों उठकर खड़े हुए हैं कि भई ये जो मनुवादी समाज व्यवस्था है, ये इन्सान और इन्सानियत के हित की व्यवस्था नहीं हैं। ये ऊँच–नीच की व्यवस्था इस देश में नहीं चलेगी। हमारे समाज के दब्बू लोगों के कारण यह व्यवस्था चलती रही जब तक वो दब्बू रहे। जब तक उनके नेता दब्बू रहे तब तक ये व्यवस्था चलती रही। आज हम लोग उठकर दब्बूपन के खिलाफ खड़े हुए है, हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों अपने दब्बूपन को छोड़ो । जब तक आप लोग इन मनुवादी व्यवस्था को चलाने वालों के पीछे लगते रहोगे, जब तक आप दब्बू रहोंगे, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक आप अपने समाज की इज़्ज़त–आबरू मान–सम्मान की रक्षा नहीं कर सकेंगे।
नहीं कर सकेंगे।

मान्य. कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश की इटावा लोकसभा सीट से, जहाँ से अपने 1991 में चुनाव लड़ा और वहाँ से विजय हासिल की, उस इटावा क्षेत्र का जिक्र करते हुए आपने कहा कि–उत्तर प्रदेश के इटावा में दोहरे चमार समाज के लोग रहते हैं, उन दोहरे चमार समाज के लोगों ने मुझे पहली बार चुनकर पार्लियामेन्ट में भेजा। उस लोकसभा सीट पर मुझे एक लाख 19 हजार वोट पड़े थे। इन दोहरे चमार समाज के लोगों ने कांशीराम चमार (स्वयं) को पार्लियामेन्ट में पहुँचाया और 1994 के बाद कोई वही चमार समाज के लोगों को चमार कह दें तो वो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं।

(इस बीच मान्य. कांशीराम जी ने अपना भाषण बीच में समापन कर दिया और फिर दोबारा माईक पर आकर शेष बात पूरी करते हुए अपना भाषण शुरु करते हुए कहा)

मायावती आज सबको मान–सम्मान देने के लिए तैयार हो गई है। चमार समाज अपना दब्बूपन छोड़कर अन्यायी और अपराधी किस्म के ठाकुरों को ठीक करने के लिए तैयार रहें। आप अपना दब्बूपन छोड़कर अन्यायी, अपराधी, गुण्डे और माफिया किस्म के ठाकुरों को बता दें कि मायावती उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (ठाकुर दिग्विजय सिंह) को बता दें कि उत्तर प्रदेश के उस अन्यायी और अपराधी किस्म के ठाकुर (राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया) से पूछो कि मायावती चमारी क्या कर रही है। राजा भैया कहाँ है। आप सब लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपने मान–सम्मान के लिए अपना दब्बूपन छोडें और उठकर खड़े हों। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदाई लेता हूँ ।

साभार :
बहुजन संगठन 3 से 9 मार्च 2003
पृष्ठ सं. 1 से
शेष पृष्ठ 3 से पृष्ठ 5 तक

जूतों का जनोपयोगी विज्ञान

पैरों का निचला हिस्सा, एड़ी, चाप तलवा आदि कितने कोमल, संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण हैं जहां शरीर के विविध अंगों के एक्यूप्रेशर–बिंदु मौजूद होते हैं और इनका कई रोगों से ताल्लुक होता है, इन अहम बातों से उपभोक्ता अक्सर सक्रिय रूप से जागरूक नहीं होते। तलवों की देखरेख, रक्षा और आराम के लिए जूता क्रांतिक महत्त्व की उपभोक्ता वस्तु है। पद और पादुका का प्रायः उपेक्षित होना एक विरोधामास ही है।

वर्तमान में पद और पादुका का विकसित विज्ञान उपलब्ध है, भारतीय मानक बने हैं, जूतों के गुणवत्ता–नियंत्रण की तकनीक उपलब्ध है, जूतों के विशिष्ट चुनाव तथा चिकित्सकीय परामर्श हेतु पोडियाट्राइस्ट विशेषज्ञ होते हैं तथा पैरों की उत्तम देखरेख के वास्ते उन्नत सेवा पीडीक्यूर सैलों मौजूद हैं तो ऐसे में वेश–भूषा, सुरक्षा–स्वच्छता, आराम आदि के लिए जूतों की सही समझ, ठीक चुनाव, नियमित रख–रखाव और सक्षम प्रयोग के विज्ञान से अवगत होना आवश्यक है ताकि जूता सिर्फ एक दुर्वचनीय और उपेक्षित वस्तु बन कर न रह जाए।

पैर के पीछे की अस्थियां पदकूर्च या टखना के स्थान पर होती है, बीच का प्रपद और आगे पादांगुष्ठ और शेष चार उंगलिया होती हैं। टखना या टारसस पांव के पीछे का करीब आधा हिस्सा है जिसकी दो पंक्तियों में सात अस्थियां होती हैं। इसके आगे प्रपद या मेटाटारसस में पांच अस्थियों होती हैं जिसमें पदागुलियां होती हैं। यदि समतल जमीन पर पांव रख कर देखा जाए तो यह पैर के समकोण पर होना चाहिए किंतु जमीन पर पांव समतल पृष्ट नहीं बनाता। पीछे से सामने तक पैर एक चाप बनाए हुए है जो ऊपर की ओर उन्नतोदर होता है जिसके सबसे ऊंचे भाग पर टांग लगी होती है। शरीर का सारा भार पैर द्वारा पांव की सारी चाप पर वितरित होती है। पांव चौड़ाई की ओर भी ऊपर उठा रहता है। इस प्रकार पांव में अनुप्रस्थ दिशा में भी चाप बन जाता है। इस प्रकार के विन्यास से भार के लिए पांव की रचना उपयुक्त है और उसमें लचक का गुण होने से कूदने–फांदने में पांव उत्तोलक की तरह काम करता है।

यदि पैर उक्त विन्यास की तरह सामान्य रचना का है तो उसमें सामान्य श्रेणी के ऐसे जूते उपयुक्त होंगे जो पैर में आरामदायक रूप से बैठ सकें ताकि पांव के तलवे को उचित आधार या सहारा मिले। पांव के असामान्य होने या आरामदायक रूप से जूते में न बैठने पर तनाव व दर्द रहेगा तथा पूरे शरीर पर असर पड़ेगा। यदि चाप ज्यादा ऊंचा हो या तलवे पूरे समतल हों तो असामान्य पांव के लिए माप के अनुसार अलग से बना जूता आवश्यक होता है।

पांव में ज्यादातर दबाव, रगड़ और छीलन तलवे के गोल बिंदुओं पर और उससे कम मध्य में होती है। एड़ी में सर्वाधिक दबाव पश्च भाग में और न्यूनतम दबाव पार्श्व भाग में होता है। सुधरे हुए विशिष्टि श्रेणी के तथाकथित स्पेसियालिटी शू–की कुल बनावट और खासकर तल्लों के विविध भागों की बनावट कठोरता या नरमी आदि यों होती है ताकि तलवे के हर भाग पर सही और सह्य दबाव पड़े, चलते समय उछाल का अनुभव हो और पांव आगे की ओर ढकेले जाएं। इन सब कारकों की जांच या यूजर–टेस्ट दोनों पांव के जूते पहने के बाद खड़े होकर और कम से कम तीन मिनट समतल जगह पर चलकर की जाती है।

जूते ज्यादा कसे न हों और ढीले भी न हों, बस पैरों को लपेटे हुए सही या आरामदायक रूप से बैठें, जैसा कि तीन मिनट जूते पहन कर चलने पर मालूम होता है। अधिकांश लोगों के पैर की चाप मध्यम आकार की होती है जिन्हें मध्यम वक्रता का जूता सही बैठेगा, सामान्य से ऊंची चाप होने पर ज्यादा वक्रता का जूता या चपटा पैर होने पर सीधा–समतल जूता उपयुक्त होगा। दिन के तीसरे पहर पैरों का पूरा फैलाव होता है, अतः जूता खरीदने के लिए यही सही समय है। साथ ही जूते की माप पूरे जीवन एक ही नहीं होती, वयस्क अवस्था में भी बदलती है। बनावट, जूतों के आकार–प्रकार, श्रेणी, शैली या स्टाइल, रंग–रूप आदि के अनुसार अनेकानेक तरह के जूते बाजार में उपलब्ध हैं जिनका मानकीकरण करना प्रायः सार्थक नहीं होता। चमड़े के जूते या बूट औपचारिक वेश–भूषा के अभिन्न अंग हैं। सामान्यतः बैल, गाय, भैंस आदि पशुओं के मजबूत चमड़े के रिझाए गए सपाट हिस्से का प्रयोग साज बनाने के वास्ते ही किया जाता है ताकि यदि इस पर 50 पौंड या 23 किलोग्राम का वजन 40 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो पैर में चोट न लगे या दर्द न हो। इसी प्रकार उक्त चमड़े की मोटी तहों से बने जूतों का बाहरी तल्ला इतना मजबूत होना चाहिए कि सामान्य प्रयोग के दौरान इसमें नुकीली चीजें यानी कील, तार, शीशा आदि के टुकड़े धंसने न पाएं। यह तभी होगा जब निर्दिष्ट चमड़े से बने तल्ले की मोटाई 3.75 से लेकर 4.25 मिलीमीटर हो। प्रायः सामान्य श्रेणी के जूते उक्त आवश्यकताओं में पूरे खरे नहीं उतरते। दरअसल अब चमड़े की साज और तल्ले की जगह पालीमर या प्लास्टिक, टैफलान, किरमिच, पी वी सी, नायलोन, रबड़, टुइल आदि की ओर रूझान बढ़ा है जो चमड़े की घटती हुई उपलब्धता के अनुरूप है। ऐसे जूते प्रायः सभी मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं।

माप–प्रणाली : जूतों के माप की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली 'एस आई' (इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटस्) अपनाई गई है। यह माप प्रणाली पैर के अंगूठे और एड़ी के बाहरी किनारों के बीच की लंबाई के आधार पर बनाई गई है। प्रत्येक माप औसत पैर की उक्त मापों पर आधारित है जो 105 तथा 300 मिलीमीटर के बीच के अंतरों को दर्शाती है और यह मोडप्वाइंट प्रणाली के रूप में स्वीकारी गई है। भारत के अधिकांश भागों में जूतों के माप की अंग्रेजी प्रणाली अब भी कायम है। बाजार में उपलब्ध पुरूषों के जूते 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 अंकों की माप के होते हैं, जबकि महिलाओं के जूते 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंकों वाली माप के तथा छोटे बच्चों के जूते क्रमशः 2 से 6 और 7 से 10 के अकों में होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए 11, 12 और 13 उभय मापों के जूते भी बाजार में उतारे गए हैं। इन सभी मापों को एस आई प्रणाली में बदलने के लिए सभी देश वचनबद्ध हैं।

उपभोक्ता मार्गदर्शन

दुकान में उपलब्ध मापनी द्वारा की गई माप के बराबर का जूता दोनों पैरों में पहन कर तीन मिनट चलें। यदि ऐसे जूतों में पैर ठीक से बिना किसी असुविधा या तकलीफ के बैठते हों तो वही सही माप है, यानी जूता न ढीला हो, न कसा हुआ। कपड़ों की तरह जूते भी एक माप के बड़े हों, ऐसा मान कर जूता खरीदना गलत होगा। पहनने के समय जो जूते कसे हुए हों, वे पहनने के बाद ढीले हो जाएंगे, इस आधार को मानना भी सही नहीं होगा। हां, बैठकर जूते की माप को नापना गलत है। जूते पहनने के बाद खड़े होकर पैर का पूरा भार डालने पर ही जूते की सही माप मिलती है। गलत माप के जूतों को पहनने से पैरों में आजीवन कष्ट हो सकते हैं।

ऐसा जूता चुनें जिसका बाहरी तल्ला 4 मिलीमीटर मोटाई से कम न हो, मजबूत हो और साथ ही लोचदार भी। भीतरी तल्ला पसीना सोखने लायक होना चाहिए। छिद्रमय फोम के छुट्टा भीतरी तल्ले भी जूतों में बठाएं और गंदा होने पर इसे निकाल कर धो–सुला लें। पसीना, जीवाणु, फफूंद और गर्मी धूल आदि की सम्मिलित क्रिया से उत्पन्न बदबू से उबकाई तक पैदा होती है। जूतों में दुर्गंध पालना असभ्यतासूचक है। जीवाणु व फफूंद नाशक रसायनों से उपचारित भीतरी तल्ले उपलब्ध हैं जो दुर्गंध नहीं आने देते। ऊपरी सिरा छिद्रमय होने से पसीना सोखता है और रसायन उपचारित होने से निचला भाग जूते में दुर्गंध नहीं आने देता। ऐसे दुर्गंधनाशक तल्ले की नियमित सफाई की जा सकती है। पसीना और दुर्गंध असामान्य रूप से हो तो बाजार में उपलब्ध दुर्गंधनाशक स्प्रे को जूता पहनने से पहले सूखे पैरों पर हल्का छिड़क लें। फुट–स्प्रे में साइक्लोमेथिकान, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि दुर्गंधनाशक रसायन होते हैं जो पैरों को सूखा रखते हैं। अधिक चलने पर या अन्य कारणों से एड़ी, तलवे, चाप, अंगूठा आदि में होने वाले दर्द से बचाव के वास्ते एयर पिलो, इनसोल, हील–कुशन, टो–प्रोटेक्टर, ब्यूनिअन–प्रोटेक्टर आदि का प्रयोग जूतों के अंदर किया जा सकता है।

'पीडीक्यूर सैलो' कई शहरों में उपलब्ध हैं जहां हाथ पैर के नाखून की सफाई, मालिश आदि की जाती है। पीडीक्यूर की जगह हफ्ते में एक बार साबुन के कुनकुने पानी से मुलायम ब्रश द्वारा मल–मल कर साफ करें, ताकि चमड़े और नाखूनों की मैल धुल जाए, मृत त्वचा के अवशेष निकल जाएं, त्वचा के बंद छिद्र खुल जाएं, पैरों में रूधिर प्रवाह बढ़े और पैर स्वस्थ रहें। यदा–कदा अच्छे तेल या क्रीम से तलवों की मालिश करें ताकि एक्यूप्रेशर के बिंदु सक्रिय रहें। पैरों को तनने, पसरने और अंगड़ाई लेने दें, पैरों के उचित व्यायाम करें और अच्छे संगीत पर पैरों को खूब थपथपाएं।

साभार :
उपभोक्ता वस्तुओं का विज्ञान
पेज संख्या 220 से 223 तक
रामचन्द्र मिश्र

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

अध्याय – 4 मानहानि

प्रत्येक व्यक्ति से उसकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति समाज में गर्व और गौरव के साथ जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि समाज में उसका अनादर हो या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आँच आने वाला कोई कार्य करता है तो उसे सहन नहीं किया जाता। यह तो एक सामाजिक दृष्टिकोण हुआ उसका विधिक दृष्टिकोण भी है। विधि भी ऐसे किसी कार्य की अनुमति प्रदान नहीं करती। विधि की यह मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति गरिमा और प्रतिष्ठा से जिये। कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की गरिमा अथवा प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाये। विधिक भाषा में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की मानहानि नहीं करे। इस प्रकार मानहानि को विधि के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध माना गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा एवं धारा 500 में मानहानि के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

मानहानि की परिभाषा :

जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाये या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।

स्पष्टीकरण 1– किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा, यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट सम्बन्धियों की भावनाओं को अपहृत करने के लिए आशयित हो।

स्पष्टीकरण 2– किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के सम्बन्ध में उसकी हैसियत में कोई लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

स्पष्टीकरण 3– अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

स्पष्टीकरण 4– कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के सम्बन्ध में उसके शील को हेय न करे या उस व्यक्ति की साख के नीचे न गिराये या वह विश्वास न कराये कि उस व्यक्ति का शरीर घृणात्मक दशा में या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है।

पहला अपवाद : सत्य बात का लांछन, जिनका लगाया जाना प्रकाशित किया जाना लोक–कल्याण के लिए अपेक्षित है– किसी ऐसी बात का लांछन लगाना, जो किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। यदि यह लोक–कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाय। लोक कल्याण के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है।

दूसरा अपवाद : लोक सेवकों का लोकाचरण – उसके लोककृत्यों के निर्वहन में लोक–सेवक के आचरण के विषय में, या उसके शील के विषय में जहां तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता है न कि उसके आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

तीसरा अपवाद : किसी लोक–प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का आचरण : किसी लोक प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, और उसके शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो न कि उसके आगे, कोई राय, चाहे कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

चौथा अपवाद : न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन – किसी न्यायालय की कार्यवाहियों को या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है।

स्पष्टीकरण : कोई जस्टिस ऑफ दि पीस या अन्य ऑफिसर, जो किसी न्यायालय में विचार से पूर्व की प्राम्भिक जाँच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपर्युक्त धारा के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय हैं।

पाँचवा अपवाद : न्यायालय में विनिश्चय मामले में गुणागुण या साक्षियों तक सम्पृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण : किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दाण्डिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति के शील के विषय में, जहां तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो न कि उसके आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

छठा अपवाद : लोककृति के गुणागुण – किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में, जिसके उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, उसके कर्ता के शील के विषय में जहां तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता हो न कि उसके आगे, कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर से किये गये कार्यों द्वारा जिनसे लोक–निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विवक्षित हो, रखी जा सकती है।

सातवाँ अपवाद : किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई परिनिन्दा – किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो, जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में, जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार सम्बन्धित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावनापूर्वक की गई कोई परिनिन्दा मानहानि नहीं है।

आठवाँ अपवाद : प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक अभियोग लगाना – किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक लगाना, जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय–वस्तु के सम्बन्ध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों, मानहानि नहीं है।

नवां अपवाद : अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन – किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब जब कि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक–कल्याण के लिए वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो।

दसवां अपवाद : सावधानी, जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है या लोक–कल्याण के लिए आशयित है – एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है परन्तुह तब तक जब तक कि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए, जिसे वह दो गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो या लोक–कल्याण के लिए आशयित हो।

मानहानि के तत्व :

मानहानि की उपर्युक्त परिभाषा, स्पष्टीकरण एवं दृष्टान्तों से इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं, अर्थात् मानहानि का अपराध गठित होने के लिए निम्नांकित शर्तो की पूर्ति अपेक्षित मानी गई है –

(1) **किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का लांछन लगाना या प्रकाशित करना** – मानहानि का प्रथम आवश्यक तत्व किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का लांछन लगाना या प्रकाशित किया जाना है।

प्रकाशन मानहानि का एक आवश्यक तत्व है। इसका अभिप्राय है– नामित व्यक्ति से अन्यथा किसी व्यक्ति को उससे संसूचित किया जाना। किसी लिपिक से पत्र लिखवाना प्रकाशन है, लेकिन जहां अभियुक्ति स्वयं परिवादी को कोई पत्र पंजीयन डाक द्वारा भेजता है, वहां उसे प्रकाशन नहीं माना जायेगा अर्थात् अपमानित व्यक्ति को स्वयं को मानहानिकारक विषय से संसूचित किया जाना प्रकाशन के अन्तर्गत नहीं आता। फिर अपमानजनक किसी बात को पोस्टकार्ड पर लिखकर अथवा प्रकाशित कर उन्हें बाँटना या उनका प्रचार करना प्रकाशन है।

प्रकाशन के लिए प्रकाशक एवं लांछन लगाने वाला व्यक्ति, दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक यह बात किसी समाचार–पत्र में प्रकाशित मानहानिकारक बात भी लागू होती है। समाचार–पत्र का प्रकाशक भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि ऐसा लांछन लगाने वाला व्यक्ति।

सेवक राम शोभानी बनाम आर.के. करंजिया, प्रमुख सम्पादक, ब्लिट्ज साप्ताहिक और अन्य का मामला– इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि समाचार–पत्रों में समाचार प्रकाशित करने के सम्बन्ध में पत्रकारों को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है। कोई भी पत्रकार एक सामान्य व्यक्ति की भांति किसी भी नागरिक की ख्याति को अपहानि कारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध लांछन वाला समाचार, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो, तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तब कि वह सद्भावपूर्ण एवं लोकहित में न हो।

कोई बात लोकहित में है अथवा नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न है।

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं–अपीलार्थी, जो भोपाल में एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, को आपातकाल के दौरान मीसा के अधीन निरोधित कर दिया गया था। जिस जेल में अपीलार्थी को रखा गया था, उसमें श्रीमती उमा शुक्ला, श्रीमती रामकली मिश्रा तथा श्रीमती सविता वाजपेयी नामक तीन महिलाएं भी बन्दी थी। दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 को ''ब्लिट्ज'' साप्ताहिक में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि –

(1) केन्द्रीय कारागृह, भोपाल में पुरुष एवं महिला बन्दियों के लिए मिश्रित व्यवस्था है

(2) अपीलार्थी का श्रीमती उमा शुक्ला के साथ मेल–मिलाप हो गया था तथा वह उसके पास स्वतंत्रतापूर्वक पहुंच सकता था;

(3) श्रीमती उमा शुक्ला अपीलार्थी के साथ गर्भवती हो गई थी।

यह प्रकाशन स्वतः मानहानिकारक था।

इन रि एस. के. सुन्दरम् के मामले में एक अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाने वाला एक टेलीग्राम भेजा गया। इसे प्रकाशन (Publication) माना गया क्योंकि इसे टेलीग्राफ ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा भी पढ़ा गया था।

(2) ऐसे लांछन का बोले गये शब्दों द्वारा या पढ़ने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा लगया जाना – मानहानि का दूसरा आवश्यक तत्व है – ऐसे लांछन का –

(क) बोले गये शब्दों के द्वारा, या

(ख) पढ़ने के लिए आशयित शब्दों द्वारा, या

(ग) संकेतो द्वारा, या

(घ) दृश्यरूपणों द्वारा,

लगाया जाना।

दृश्यरूपणों से अभिप्राय किसी ऐसे साधन से है

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

जिससे मानहानि कारित की जा सके, जैसे–किसी की मूर्ति या पुतला बनाना आदि। जहां किसी व्यक्ति को ''गुंडा'' बनाने के लिए मिथ्यारूप से ग्रुपफोटो में उसे सम्मिलित किया जाता है, वहां उसे मानहानिकारक धारण किया गया।

लांछन द्वारा क्षति पहुंचाने का आशय :

मानहानि का तीसरा आवश्यक तत्व है–लांछन द्वारा क्षति पहुंचाने का आशय। आशय मानहानि का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब तक कि लांछन –

(क) ऐसे प्रभाव कारित करने के आशय से न लगाया जाय, या

(ख) यह ज्ञान न हो कि उसके परिणामस्वरूप ऐसा सम्भव है, या

(ग) यह विश्वास करने के कारण न हो कि ऐसा प्रभाव होने की सम्भावना है, तो यह मानहानि नहीं होगा।

मानहानि के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने ऐसा लांछन परिवादी की ख्याति को उपहति कारित करने के आशय से या जानबूझकर या ऐसा विश्वास होने के कारण होते हुए लगाया है?

इस धारा में प्रयुक्त ''क्षति'' अथवा ''हानि'' से अभिप्राय पीड़ित पक्षकार की ख्याति को पहुंची हानि से है।

फिर लांछन का मानहानि कारित करने के लिए ऐसा होना आवश्यक है कि वह –

(क) दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हानि पहुंचाये, या

(ख) उस व्यक्ति को जाति के या उसकी आजीविका के सम्बन्ध में उसके चरित्र को हानि पहुंचाये, या

(ग) उस व्यक्ति की साख को नीचे गिराये, या

(घ) यह विश्वास कराये कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है।

इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं –

(1) जगन्नाथ मिश्र बनाम रामचन्द्र देव का मामला – इसमें परिवादी ने एक सभा आमंत्रित की, जिसमें अभियुक्त को नहीं बुलाया गया था, लेकिन अभियुक्त वहां गया और कुर्सी पर बैठ गया तथा जोर से चिल्लाकर बोला कि ''परिवादी, जो एक जमींदार था, वह न केवल झूठा ही था अपितु अशिष्ट, जंगली और अत्याचारी भी था।'' पटना उच्च न्यायालय ने यह धारण किया कि यह मानहानि नहीं है, बल्कि केवल इज्जत–तौहीन है। क्योंकि इस लांछन से परिवादी किसी भी दृष्टि में गिरा नहीं, यह केवल एक गाली–गलौच थी जो उसी स्थिति में समाप्त हो गई जिसमें उसका जन्म हुआ था।

(2) दूल्काल्हा का मामला – इसमें यह लांछन लगाया गया है कि एक व्यक्ति अभियुक्त की विधवा चाची के यहां रात्रि में देर तक पाया गया और वहां वह उसके साथ सम्भोग करने के आशय से अवश्य गया होगा। चाची ने बताया कि वह पंचायत के समक्ष निर्दोष सिद्ध हुई और वह अपनी जाति से बाहर नहीं निकाली गई। यह धारण किया गया कि इस लांछन से वह अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में गिरी नहीं और इस लांछन से मानहानि नहीं हुई।

धारा 499 का स्पष्टीकरण (4) ऐसे मामलों में प्रयोज्य नहीं होता, जहां निर्मित आरोप की विषयवस्तु और प्रयुक्त किए गए शब्द स्वयं मानहानिकारक हों।

किसी प्रकरण विशेष में न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना मानहानि है।

मृत एवं कृत्रिम व्यक्ति की मानहानि :

मानहानि मात्र जीवित व्यक्ति की ही नहीं होती अपितु मृत एवं कृत्रिम व्यक्ति की भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है, के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा यदि ऐसा कोई कथन कहा जाता है या प्रकाशित किया जाता है, जो मानहानि होता यदि वह जीवित होता, तो मानहानि का दोषी माना जायेगा। क्योंकि किसी मृत व्यक्ति की मानहानि करना उसके परिवारजनों एवं निकट के सम्बन्धियों को अपमानित करना है।

फिर मानहानि किसी कृत्रिम व्यक्ति अर्थात् किसी संस्था, फर्म, कम्पनी, मूर्ति आदि की भी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं–प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक व्यक्ति एक चलता–फिरता जीवित प्राणी होता है, जबकि कृत्रिम व्यक्ति निर्जीव होता है। फिर भी विधि की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति को ''वैध व्यक्ति'' के रूप में मान्य किया गया हैं। यह विधि की सिर्फ एक कल्पना है।

इस प्रकार किसी समुदाय या संस्था के समूह के सम्बन्ध में उसकी ख्याति पर लांछन मानहानि हो सकता है।

एक नोटीफाईड एरिया, नगरपालिका और एक बैंक ये सब व्यक्ति है और इनकी मानहानि हो सकती है। लेकिन यदि नगरपालिका में अल्पमतीय दल बहुमतीय दल पर अव्यवस्था का आरोप लगाता है, तो लांछन मानहानि नहीं होगा।

विपरीत आचरण आदि द्वारा मानहानि :

सामान्यतया मानहानि प्रत्यक्ष रूप से कोई अपवचन कह कर या अपलेख प्रकाशित करके की जाती है। लेकिन कभी–कभी विपरीत आचरण, निषेध और पूछताछ द्वारा भी मानहानि कारित होती है।

उदाहरणार्थ, ए ने चोरी की है। बी इस बात को सीधा यह कह कर ए की मानवता कर सकता है ए चोर हैं। किन्तु बी ऐसा नहीं कह कर सकता है कि ''तुम बड़े ईमानदार हो यहां बी का यह कथन भी मानहानि माना जायेगा।

प्रश्नों के रूप में कोई प्रकाशन भी मानहानि हो सकता है।

प्रत्यक्ष मानहानि :

सामान्यतया मानहानि उसी व्यक्ति की होती है जिसके बारे में कोई अपवचन कहा जाता है या कोई अपलेख प्रकाशित किया जाता है। लेकिन कभी–कभी ऐसे व्यक्ति की भी मानहानि हो जाती है जिसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से यद्यपि कुछ नहीं कहा जाता है।

पत्नी के चरित्र पर लांछन से उसके पति की भी मानहानि हो सकती है, यद्यपि उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता है।

कोई वधू जो अपने पति की अनुपस्थिति में अपने ससुर के साथ रहती थी, उसके चरित्र के विषय में झूठे लांछन से पूरे परिवार की मानहानि होगी।

अपवाद – अभी तक हमने यह देखा कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपवचन कह कर आलेख प्रकाशित कर उसकी मानहानि कारित कर सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात् कतिपय अवस्थाओं में ऐसे अपवचन एवं आलेख मानहानि की कोटि में नहीं आते। धारा 499 में ऐसे अपवादों का उल्लेख किया गया है। ऐसे अपवाद का अवलम्ब केवल विचारण होने के पश्चात् एक जाँच के प्रक्रम पर लिया जा सकता है।

जवाहर लाल बनाम मनोहरराव गणपराव कापसीकर के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कार्यवाहियों का सही एवं सद्भावनापूर्ण प्रकाशन मानहानि की कोटि में नहीं आता।

बिना किसी सद्भावना के मिथ्या लांछन लगाना पहले अपवाद (लोक–कल्याण के लिए अपेक्षित सत्य बात का लांछन) में नहीं आता।

इस सम्बन्ध में **''चमनलाला बनाम स्टेट ऑफ पंजाब** का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें परिवादी एक नर्स दाई बिशन कौर ने सुजानपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध मानहानि के लिए एक परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी अध्यक्ष ने एक जनसभा में उसके चरित्र के सम्बन्ध में मानहानिकारक बातें कहीं तथा इन आरोपों को उसने सिविल चिकित्सक के समक्ष भी दोहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारण किया कि अपीलार्थी मानहानि के लिए दोषी था और वह प्रथम अपवाद का लाभ नहीं ले सकता।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण अभिलेख का सत्य होना आवश्यक है। उसके किसी एक भाग का सत्य होना पर्याप्त नहीं माना जाता।

''सद्भावना'' चौथे अपवाद (न्यायालय कार्यवाहियों के प्रतिवेदन का प्रकाशन) का आवश्यक तत्व नहीं हैं।

किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई परिनिन्दा (सातवां अपवाद) के अन्तर्गत न्याय–प्रशासन के अन्तर्गत की जाने वाली कोई जाँच मानहानि की कार्यवाही का आधार नहीं हो सकती।

प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक कोई अभियोग लगाने (आठवां अपवाद) के सम्बन्ध में **''कँवर लाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब''** का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें अभियुक्त और स्त्री रामराखी दोनों पड़ोसी थे। अभियुक्त ने जो पुलिस–दल का सदस्य था, मानहानि कारक कथनयुक्त एक परिवाद लुधियाना के जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि महिला रामराखी एक बदचलन स्त्री है, जिसका अपने अनेक प्रेमी गुण्डों से अवैध सम्बन्ध है। ये लोग खुले रूप से रात में रामराखी के यहां आया करते हैं जिससे उसके सारे मोहल्ले पर बुरा असर पड़ता है। यह धारण किया गया कि ऐसा परिवाद रामराखी के प्रति हानिकारक था, क्योंकि जिला पंचायत–अधिकारी ऐसे परिवादों की सुनवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नहीं था।

नवें अपवाद (अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक लगाया गया लांछन) की प्रयोज्यता के लिये दो बातें आवश्यक हैं –

(1) सद्भावना एवं

(2) लोकहित

इस सम्बन्ध में **''बेकेट बनाम नोरिस''** का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें एक क्लब के मैनेजर ने अपने सचिव और अन्य सेवकों की सूचना पर अभियोगी के पति को लिखा कि उसने क्लब के नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि वह क्लब के एक पृथक् भाग में कुछ व्यक्तियों के साथ पाई गई थी और उनको शराब पिता रही थी, जो कि क्लब में मना था। यह धारण किया गया कि मैनेजर इस अपवाद के अन्तर्गत सुरक्षित था, क्योंकि उसने कार्य सावधानी से, सद्भावनापूर्वक अपने सेवकों से जांच कराने के बाद किया।

इस सम्बन्ध में दो और मामले उद्धरणीय हैं –

पद्यान बाबुल का मामला – इसमें अभियुक्तों ने फरियादियों पर यह सन्देह किया कि उन्होंने शराब पी है, इसलिए उन्होंने जाति–बिरादरी से उनके आचरण की जांच का निवेदन किया। इस पर अभियुक्तों पर मानहानि का अभियोग लगाया गया। यह धारण किया गया कि अभियुक्त निरपराध थे, क्योंकि जाति–बिरादरी का सदस्य होने के कारण उन्होंने जाति–बिरादरी के हितों की रक्षा के लिए वह लांछन लगाया था।

पुरुषोत्तम काला का मामला – इसमें एक व्यक्ति अपने साझेदार के बदले एक मुकदमे का निरीक्षण कर रहा था। उसने न्यायाधीश को यह सूचना दी कि फरियादी गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिये उसे न्यायालय में बैठने की आज्ञा दी जाए। ऐसा कहने में या लांछन लगाने में दुर्भावना का अभाव था, अतः यह धारण किया गया कि यह मामला इस अपवाद के अन्तर्गत आता है।

अधिवक्ता द्वारा नोटिस का जवाब – यदि कोई अधिवक्ता किसी व्यक्ति के नोटिस का जवाब अपने लिपिक से लेखबद्ध करवाता है तथा ऐसे जवाब में लांछन होते हैं तब भी इसे धारा 499 एवं 500 के प्रयोजनार्थ ''प्रकाशन'' नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अधिवक्ता का यह कार्य उसके वृत्तिक संसूचना के अधिकार के अन्तर्गत संरक्षित है।

इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता में मानहानि के बारे में विस्तृत व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर आशय यह है कि प्रेस के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा अथवा गरिमा को ठेस न पहुंचायी जाये। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सत्य बातों को प्रकट नहीं किया जाये। प्रेस को लोकहित में सत्य बातों को निडरता एवं निर्भीकता से उजागर करना चाहिए।

मानहानि के लिए कार्यवाही :

यदि मानहानि किसी समाचार पत्र के माध्यम से की जाती है तो कार्यवाही ऐसे स्थान पर की जा सकती है जहां वह समाचार पत्र प्रसारित होता है एवं पढ़ा जाता है।

साभार :
पत्रकारिता एवं प्रेस विधि
(सिद्धांत और व्यवहार)
पेज संख्या 46 से 54 तक
डॉ. बसंतीलाल बाबेल

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

यूरोप की संयुक्त व्यवस्था

वियना की शर्तों के पालन की गारंटी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर दी थी, किन्तु कुछ वर्षों के अनुभव ने सभी लोगों में यह इच्छा जागृत कर दी थी कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कुछ और ठोस कदम उठाना चाहिये और कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सबकी पारस्परिक रखा हो सके। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिये यूरोप के स्वेच्छाचारी शासकों ने उस शताब्दी का सबसे अनोखा राजनीतिक प्रयोग किया। यूरोप के राजनयिकों के मन में यह विचार आया कि यदि वे पारस्परिक सहयोग द्वारा नेपोलियन की शक्ति का अन्त करने में सफल हो सकते हैं तो उसी सहयोग एवं संगठन के माध्यम से वे यूरोप में शान्ति एवं व्यवस्था को भी सुरक्षित रख सकते हैं। यूरोप के शासकों के व्यक्तिगत स्वार्थों की दृष्टि से भी अन्तर्राष्ट्रीय–सहयोग की आवश्यकता महसूस की गयी। ब्रिटेन के विदेश–मंत्री केसलरे और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख भी इस प्रकार की संयुक्त–व्यवस्था के पोषक थे। वे ऐसी व्यवस्था को वियना की शर्तों के परिपालन और यूरोपीय शान्ति की सुरक्षा के लिये आवश्यक मानते थे। दूसरी ओर रूस के जार अलेक्जेण्डर प्रथम अपनी रहस्यवादी प्रवृत्ति और वेरानेस वॉन क्रुडनर से प्रभावित होकर यूरोप के राज्यों के गठबंधन की नयी योजना तैयार कर रहे थे। उनकी पवित्र मैत्री (Holly Alliance) सितम्बर 1815 में कार्यान्वित की गयी। उसके पश्चात नवम्बर 1815 में मेटरनिख द्वारा प्रस्तावित एवं केसलरे द्वारा समर्थित ''चतुर्राष्ट्रीय मैंत्री' (Quadruple-Alliance) को भी स्वीकृति मिली। इन्हीं दोनों योजनाओं के आधार पर 'यूरोपीय संहति' (Concert of Europe) का निर्माण हुआ। जब क्रान्ति–युग समाप्त हुआ तो यूरोप रक्त–प्लावित हो चुका था और लोग इस बात की चिन्ता में थे कि कोई ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय–सरकार स्थापित की जाय, जिससे भावी युद्धों का खतरा समाप्त हो सके। इसलिये यूरोपियन–संहति बना और यह प्रयोग आठ साल (1815–1823) तक चला। उस समय यह बात स्वीकार की गयी कि यूरोप में उसी हालत में शान्ति कायम रह सकती है जब प्रत्येक राष्ट्र में आन्तरिक शान्ति हो और इस शान्ति का आधार उपयुक्त आजादी हो, जिससे नरेशों के रागद्वेष, बे–लगाम महत्वाकांक्षा और पागलपन पर रोकथाम हो सके। ये शब्द काँट के उपदेशों की याद दिलाते हैं, जिसके अनुसार विश्व–शान्ति का एक मात्र आधार है– सच्ची प्रतिनिधि सरकार।

रूस का जार इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये एक योजना तैयार कर चुका था। इस योजना में और कुछ नहीं वरन् केवल यह शर्त थी कि सभी प्रभुसत्ताधारी यह वचन दें कि वे एक–दूसरे के प्रति मसीही–धर्म के अनुसार सद्भावना का बर्ताव करेंगे। उसकी इस योजना का सूत्रपात सन् 1804 में ही हो गया था। इसमें सन्देह नहीं कि उसके पीछे लेशमात्र भी छल–कपट का भाव नहीं था। वह अहंवादी, भावुक, सहानुभूतिशील और अत्यन्त सहृदय था। धर्माश्रित सहबन्ध उसकी बुद्धि और आत्मा की उपज था, किन्तु यह धारणा बहुत सुलझी हुई नहीं थी।

पवित्र–मैत्री (Holly Alliance)

26 सितम्बर 1815 को रूस के जार अलेक्जेण्डर–प्रथम ने पेरिस के निकट वर्ट्स के मैदान (Champ de Vertus) में मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की एक परेड के अवसर पर रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा के सम्राटों की पवित्र–मैत्री की घोषणा की। उक्त घोषणा में एक प्रस्तावना तथा तीन अनुच्छेद थे। इस मैत्री का उद्देश्य यूरोप में शान्ति स्थापित करना था। इस पर हस्ताक्षर करने वाले सम्राटों ने वचन दिया था कि भविष्य में उनके आपसी सम्बन्ध पवित्र–कर्म के उच्च सिद्धांतों पर आधारित होंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया था कि वे अपने इन निर्णयों को न्याय और शान्ति के सिद्धान्तों के आधार पर सुनिश्चित कर अपनी प्रजा एवं सेना के प्रति पितृवत् व्यवहार करेंगे। सभी देशों के नाम एक व्यापक आमंत्रण दिया गया था कि वे उक्त घोषणा को अंगीकार कर लें। फ्रांस तथा यूरोप के अधिकतर देशों ने इसे अंगीकार कर लिया। पर ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर इसे मानने से इन्कार कर दिया कि यह योजना धुँधली–सी और अस्पष्ट है।

उसका अनुमोदन करने के पश्चात् भी रूस के जार को छोड़कर अन्य किसी ने भी उसके सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास नहीं किया। अधिकांश राजाओं और राजनीतिज्ञों को उसके पवित्र–उद्देश्यों में विश्वास नहीं था। मेटरनिख के अनुसार ''वह केवल शब्दाडंबरपूर्ण तथा बहुत महत्वपूर्ण दिखने वाली निरर्थक योजना थी।'' प्रोफेसर केटलबी के अनुसार, ''पवित्र–मैत्री न तो कपटपूर्ण थी और न अनुदार ही''।

सन् 1815 ई० में जार अलेक्जेन्डर–प्रथम की मृत्यु के साथ ही पवित्र–मैत्री का संघ भी समाप्त हो गया तथा कुछ लोगों की यह धारणा बनी कि पवित्र–संधि और कुछ नहीं, वरन् अलेक्जेन्डर की कल्पना द्वारा जालअलाजी की मनगढ़ंत कहानी मात्र थी। यह एक नैतिक संकेत, एक पवित्र–आकांक्षा थी। इसका अर्थ कुछ नहीं था। यदि इसमें कुछ राजनीतिक कार्यक्रम होता तो उसके परिणाम बड़े विवादास्पद हो सकते थे।

चतुर्राष्ट्र–मैत्री (Quadruple-Alliance)

यूरोप की संयुक्त–व्यवस्था मूलतः फ्रान्स की क्रान्ति का ही फल थी। लगभग 25 वर्षों तक यूरोप की सरकारों ने फ्रान्स के क्रान्तिकारी जनतंत्र से युद्ध किया, फ्रान्स की सेनाओं और विचारधाराओं को अपने देश में घुसने से रोका और इसके निमित्त एक के बाद दूसरे संघ बनते रहे। वियना की कांग्रेस ने बड़े परिश्रम के साथ जो भूमि–सम्बन्धी राजनीतिक फैसले किये थे उनकी रक्षा के लिये मित्र–राष्ट्रों को तैयार रहना था। इसलिये 20 नवम्बर 1815 को चार बड़े राज्यों–ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन और रूस–ने एक समझौते के द्वारा चतुर्राष्ट्र मैत्री की स्थापना की। इस समझौते के अनुसार यह स्वीकार किया गया कि विश्व के कल्याण–हेतु राज्यों के बीच स्थापित घनिष्ठ सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये तथा समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय–समय पर शासकों अथवा उनके मंत्रियों के सम्मेलन होते रहेंगे, जिनमें वे यूरोप की शांति तथा जनता को सुख–समृद्धि के लिये विभिन्न उपायों के विषय में विचार–विमर्श करेंगे। इस प्रकार सम्मेलनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय–सहयोग की एक नयी व्यवस्था की गयी। इतिहासकार इस व्यवस्था को यूरोपीय–संहति (Concert of Europe) या कांग्रेस–प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। यह व्यवस्था 8 वर्षों तक बनी रही (1815-1823 ई०) तथा बाद के वर्षों में जब कभी यूरोप में कोई संकट की घड़ी आई तो उसे इस संहति के माध्यम से युद्ध के बिना भी सुलझा लिया गया।

मैत्री–संधि, पवित्र–मैत्री की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक थी। ब्रिटेन के विदेश–मंत्री केसलरे ने इस संहति को यूरोप की सुरक्षा की महती व्यवस्था एवं शांति की गारंटी के रूप में स्वीकारा था। किन्तु आगे चलकर इसमें ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख का प्रभाव बहुत बढ़ गया। जब ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस के सम्राटों ने अपने प्रतिक्रियावादी सिद्धान्तों के आधार पर अन्य राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहा तो इंग्लैंड की ओर से केसलरे ने उसका विरोध किया और यह मतभेद बढ़ता ही गया। यूरोप के छोटे राज्य इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे।

'चतुर्राष्ट्रीय–मैत्री' के अंतर्गत उसके सम्मेलन निम्न स्थानों पर हुए–एक्ला–शैपल (1818), ट्रापो (1820), लाईबेख (1821), बेरोना (1822), और सेंट पीट्सबर्ग (1825)। इस प्रकार लगभग आठ वर्षों तक बड़े राज्यों के सम्मेलनों द्वारा विभिन्न राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न किये गये।

एक्स–ला शैपल (Aix-la-Chappelle) का सम्मेलन (1818)

चतुर्राष्ट्र–मेत्री के अंतर्गत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय–सम्मेलन अक्टूबर 1818 में एक्स–ला–शैपल नामक स्थान पर हुआ। इसमें प्रमुख रूप से फ्रान्स का प्रश्न था। फ्रान्स की संतोषजनक आंतरिक स्थिति के संदर्भ में वहाँ से मित्र राज्यों की सेना हटाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार चतुर्राष्ट्र–मैत्री अब 'पंचराष्ट्र–सहबन्ध' बन गया। सम्मेलन में कुछ अन्य छोटे राज्यों से संबंधित विषयों पर भी विचार किया गया। स्वीडन के शासक बर्नाडोट से, डेनमार्क से सम्बन्धित कील की संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का कारण पूछा गया। मोनेको के शासक से, अपने राज्य में व्यवस्थित शासन स्थापित करने के लिये कहा गया। हेस ने इलेक्टर की 'राजा' की उपाधि प्राप्त करने की माँग अस्वीकार कर दी गयी। बेडन के उत्तराधिकारी का प्रश्न और बवेरिया के सीमा–संबंधी विवाद पर भी विचार किया गया। किन्तु उसके विषय में अंतिम निर्णय बाद में लिया गया।

संभवतः 'यूरोपीय–संहति' को सबसे अधिक सफलता इसी सम्मेलन में मिली। किन्तु इसी सम्मेलन से ब्रिटेन एवं निरंकुश राज्यों में सैद्धान्तिक मतभेद स्पष्ट होने लगे थे। फ्रांस में उदारवाद के बढ़ते हुये प्रवाह से मित्र राज्य चिंतित थे। रूस और प्रशिया में भी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। जर्मनी के राज्यों में भी क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 23 मार्च 1819 को प्रसिद्ध नाटककार काटजेब की कार्लसेण्ड नामक युवक ने हत्या कर दी। इस हत्या से मेटरनिख को जर्मनी में उदारवाद का दमन करने और अपनी प्रतिक्रियावदी नीति को कार्यान्वित करने का अच्छा अवसर मिल गया। इस घटना के बाद जर्मनी में विद्यार्थी–आन्दोलनों, समाचारपत्रों, आदि पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। ऐसा करने का मेटरनिख का उद्देश्य जर्मन–राज्यों में उदारवाद को रोकना तथा जर्मन राजमण्डल में ऑस्ट्रिया का प्राधान्य स्थापित करना था। किन्तु उसके इस कार्य का रूस और ब्रिटेन ने विरोध किया। वे दूसरे राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं थे।

दूसरी समस्या स्पेन के दक्षिण–अमेरिकी उपनिवेशों से संबंधित थी। जिसके कारण मित्र–राज्यों में मतभेद उत्पन्न हुए। नेपोलियन के पतन के पश्चात् स्पेन के दक्षिण–अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र होना चाहते थे। ऐसी स्थिति में स्पेन के शासक ने पांच राष्ट्रों के संगठन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वे विद्रोही उपनिवेशों को पुनः स्पेन के अधिकार में लाने के लिये स्पेन की सहायता करें। परन्तु ब्रिटेन ने उसके इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि इस नीति से उसके दक्षिण अमेरिकी–उपनिवेशों से संबंधित व्यापारिक हितों को आघात पहुँचता।

इसी प्रकार बारबेरी के समुद्री डाकुओं से सुरक्षा–हेतु रूस द्वारा प्रस्तावित एक जहाजी बेड़े को भूमध्यसागर में भेजने का सुझाव ब्रिटेन ने अमान्य कर दिया, क्योंकि इससे इंग्लैंड की समुद्री–शक्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता था। दूसरी ओर रूस और ऑस्ट्रिया ने इंग्लैंड को दासों के लिये जहाजों में तलाशी लेने के अधिकार को मान्यता नहीं दी। इस प्रकार विभिन्न विषयों पर बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे।

मार्च 1820 ई० में स्पेन के शासक फर्डिनेण्ड के विरूद्ध विद्रोह हुआ। रूस ने स्पेन के शासक को सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव किया, जिसे ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया।

सन् 1820 ई० में नेपल्स में भी क्रान्ति हो गयी। मेटरनिख इस विद्रोह से बड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि उससे इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को धक्का पहुँचता था।

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

मेटरनिख इस विद्रोह को तुरन्त दबाना चाहता था, किन्तु फ्रांस और रूस इसके विरूद्ध थे।

अगस्त 1820 ई० में पुर्तगाल में भी क्रान्ति हो गयी और वहां के शासक को स्पेन के सन् 1812 ई० के संविधान को स्वीकार करना पड़ा।

ट्रोपो का सम्मेलन (Conference of Troppou-1820)

यूरोप की संयुक्त–व्यवस्था में अनेक मतभेद उभरने लगे थे। इसी समय पुर्तगाल, स्पेन और नेपल्स में क्रान्तियाँ हो गयीं। नेपल्स की क्रान्ति ने ऑस्ट्रिया को प्रभावित किया, क्योंकि इसके द्वारा इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को चुनौती दी गयी थी। अतः इस समस्या के समाधान–हेतु मेटरनिख ने ट्रोपो में पांच–राष्ट्रों की सभा आमंत्रित की। प्रशा और रूस का समर्थन प्राप्त कर मेटरनिख ने एक नवीन सिद्धान्त की घोषणा की। इस सिद्धान्त द्वारा यह स्वीकारा गया था कि जब किसी राज्य में क्रान्ति होने के कारण पड़ोसी राज्यों को खतरे का अनुभव हो तो वे अपनी सेना की सहायता से उस देश के राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल देने के अधिकारी होंगे। इस सम्मेलन में यह भी मांग की गयी कि वियना–व्यवस्था के रक्षार्थ संघ की सेना का उपयोग किया जा सके। इंग्लैड और फ्रांस दोनों ने इन विचारों का विरोध किया। इन मतभेदों के बावजूद यूरोप की संयुक्त व्यवस्था तो जारी रही, किन्तु उसके सदस्यों के बीच वैचारिक विभिन्नता स्पष्टतः दिखाई पड़ने लगी। अतः किसी ठोस निर्णय पर पहुँचने से पहले ही ट्रोपो–सम्मेलन स्थगित कर दिया गया।

लाईबेख–सम्मेलन (1821)

जनवरी 1821 ई० में लाईबेख में पुनः संघ का अधिवेशन किया गया। इस दौरान नेपल्स और पीडमाण्ट में विद्रोह चल रहे थे। अतः ऑस्ट्रिया ने एक बड़ी सेना भेजकर वहाँ के विद्रोहों को कुचल दिया। उसके इस कार्य को रूस और प्रशिया का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंग्लैंड के विरोध के बावजूद आस्ट्रिया, प्रशिया और रूस की प्रतिक्रियावादी नीति जारी रही, पर संयुक्त व्यवस्था के विघटन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे।

वेरोना–कांग्रेस संघ (1822) का विघटन

कांग्रेस का अधिवेशन सन् 1822 ई० में वेरोना में हुआ। इस अधिवेशन के प्रमुख रूप से दो समस्याओं पर विचार किया गया। पहली समस्या का संबंध स्पेन तथा दूसरी का संबंध यूनान से था। इस सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया। स्पेन की क्रांति के दमन हेतु जब फर्डिनेण्ड सप्तम ने फ्रांस से सैनिक सहायता मांगी तब इंग्लैंड के प्रतिनिधि ने उसका विरोध किया। पर इंग्लैंड के इस विरोध की चिंता किये बिना चार राज्यों के समर्थन से फ्रांस की सेना स्पेन भेज दी गयी। इस सेना की सहायता से स्पेन की क्रान्ति का दमन कर वहाँ राजा का निरंकुश शासन फिर से स्थापित किया गया।

इसी समय यूनान ने टर्की के खिलाफ अपना राष्ट्रीय आन्दोलन आरंभ कर दिया। अपने विचारों के अनुरूप इंग्लैंड यूनानियों की सहायता करने के पक्ष में था पर मेटरनिख इसके खिलाफ था। वह नवीन विचारों का विरोधी था। फलतः उसने इंग्लैंड के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इससे इंग्लैंड बड़ा नाराज हुआ। अतः उसने प्रतिक्रियावाद की विजय से असंतुष्ट होकर यूरोप की संयुक्त–व्यवस्था से अपने को अलग कर लिया।

मुनरो–सिद्धान्त

स्पेन में निरंकुश सत्ता की पुनर्स्थापना के बाद कांग्रेस की गतिविधियां दक्षिण–अमेरिका के उपनिवेशों में तीव्र हो गयीं। कांग्रेस ने स्पेन को वहां के उसके उपनिवेशों को उसे वापस दिलाने का प्रयास किया, जिसका इंग्लैंड के विदेश–मंत्री केनिंग ने डटकर विरोध किया। इसी बीच अमेरिका ने दक्षिण–अमेरिका के सभी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने 2 दिसम्बर 1823 ई० को दक्षिण–अमेरिका के संबंध में अपनी नयी नीति की घोषणा कर दी, जिसे इतिहास में मुनरो–सिद्धान्त का नाम दिया गया। इस घोषणा के अनुसार यूरोपीय राज्यों द्वारा अमेरिकी महाद्वीप की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की नीति को निषिद्ध कर दिया गया। यह कार्यवाही यूरोप की संयुक्त–व्यवस्था पर एक करारी चोट थी, जिससे वह कभी भी उबर न सकी। इसके कारण कांग्रेस की गतिविधियां यूरोपीय राज्यों तक ही सीमित रह गयी।

सेण्ट–पीट्सवर्ग का सम्मेलन (सन् 1824 ई०)

सन् 1824 ई० में रूस के तत्कालीन जार अलेक्जेण्डर ने यूनान की समस्या पर विचार करने के लिये अपनी राजधानी सेन्ट–पीट्सबर्ग में यूरोपीय संघ का सम्मेलन बुलाया। परन्तु उनका यह प्रयास सफल न हो सका। इंग्लैंड इस सम्मेलन के पक्ष में न था। पूर्वी–समस्या के प्रश्न पर रूस और आस्ट्रिया के विचारों में भी गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया। आपसी सहयोग का यह अंतिम प्रयास असफल सिद्ध हुआ। इस प्रकार यूरोप की संयुक्त–व्यवस्था समाप्त हो गयी।

संयुक्त–व्यवस्था की असफलता के कारण

यूरोप की संयुक्त–व्यवस्था की असफलता के निम्न कारण थे –

इसकी असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था यूरोप के छोटे राज्यों की उपेक्षा। उनकी यह धारणा थी कि बड़े राज्य छोटे राज्यों के हितों के प्रति उदासीन हैं। इस प्रकार छोटे राज्यों के प्रति दुर्भावना के कारण सामूहिक व्यवस्था का प्रभाव कम होने लगा और अंत में उसके सहयोग के बिना उसका पतन हो गया। सामान्य जनता से तो उसका कोई संबंध ही न था।

इसकी असफलता का दूसरा बड़ा कारण यह था कि

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

इसके सदस्य राज्यों के हितों और विचारों में भिन्नता थी। फ्रांस और इंग्लैण्ड जहां प्रजातंत्रीय विचारों के समर्थक थे, वहीं रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया निरंकुश शासन के पोषक थे। अतः विचारों की दृष्टि से इन राज्यों में आपसी तालमेल होना संभव न था। रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया इस व्यवस्था का उपयोग नवीन विचारों को कुचलने के लिये करते थे, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस उसे एक ऐसा माध्यम बनाना चाहते थे, जिससे नवीन विचारों का प्रवेश संभव हो सके। ये सभी राज्य यूरोपीय शान्ति के समर्थक थे, पर उनके कार्य करने के ढंग और विचारों में तालमेल का अभाव था।

संयुक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकांश लोगों की यह धारणा थी कि वह मेटरनिख के हाथों पुरानी व्यवस्था को स्थापित करने का साधन मात्र है। रूस और प्रशिया भी पुराने विचारों के हिमायती थे। मेटरनिख इस व्यवस्था का उपयोग अनुदारवाद की स्थापना के लिये करना चाहता था, जो संभव न हो सका।

इंग्लैंड राष्ट्रीयता और समानता के सिद्धान्तों का समर्थक था, जबकि रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया इस व्यवस्था के माध्यम से उदारवादी तत्वों को कुचल देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड का उनके साथ अधिक समय तक बने रहना संभव न हो सका। फलतः यह संयुक्त–व्यवस्था से अलग हो गया, जो इसकी असफलता का एक कारण बना।

यूरोप की संयुक्त–व्यवस्था सफल न हो सकी। फिर भी यह प्रयास पूरी तरह से निरर्थक सिद्ध हुआ, यह बात नहीं है। इसने आपसी सहयोग और सूझ–बूझ तथा सम्मेलनों के द्वारा समस्याओं को हल कर लेने की व्यवस्था की नींव रखी। इससे आगे चलकर राष्ट्रसंघ और संयुक्त–राष्ट्र की स्थापना को बल मिला। इस प्रकार संयुक्त–व्यवस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय–सहयोग को नयी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, जिसका लाभ आगे चलकर मानव–जाति को मिला।

साभार :
यूरोप का इतिहास (1453–1870)
पेज संख्या 241 से 248 तक
डॉ० भगवान सिंह वर्मा

कांशीराम का योगदान

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के निधन पर उनके उस योगदान का स्मरण जरूरी हो जाता है जो उन्होंने दलित चेतना के उभार के संदर्भ में दिया। भले ही राजनीति के उनके तौर–तरीके से कोई असहमत हों, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने देश और विशेषकर उत्तर भारत में राजनीति को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने दलितों को यह अहसास कराया कि सत्ता में उनकी भागीदारी होनी चाहिए और वे ऐसा कर भी सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के गठन के जरिए कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में न केवल एक छाप छोड़ी, बल्कि पार्टी को मजबूती से स्थापित भी किया। आज स्थिति यह है कि यह राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर गया है। पंजाब कांशीराम की जन्मभूमि थी और सरकारी कार्यालय उनकी कर्मभूमि, लेकिन राजनीति के मैदान में उन्हें सबसे अधिक सफलता उत्तर प्रदेश में मिली। उन्हें उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक राजनीतिक सफलता क्यों मिली, इस पर राजनीतिक वर्ग को ही नहीं, समाज सुधारकों को भी विचार करना चाहिए। कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली कामयाबी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि इस राज्य में दलित स्वंय को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें न तो सत्ता में वास्तविक प्रतिनिधित्व ही मिल रहा था और न ही समाज में उचित मान–सम्मान।

इसमें संदेह नहीं कि एक राजनेता के रूप में कांशीराम के उभार ने यह भी सिद्ध किया कि खुद को दलितों का हितैषी और शुभचिंतक बताने वाले अन्य राजनीतिक दल इस वर्ग का विश्वास नहीं जीत सके और यह भी कि दलितों को मात्र आश्वासन देकर उन्हें अधिक समय तक बहकाया नहीं जा सकता। जहां तक बसपा का प्रश्न है तो उसे इस पर विचार करने की जरूरत है कि वह उत्तर प्रदेश जैसी सफलता बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्यों हासिल नहीं कर सकीं? निःसंदेह यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में दलितों को समाज में मान–सम्मान और सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व हासिल हो गया है, लेकिन इतना तो है ही कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो सफलता मिली उससे दूसरे राज्यों में दलित वर्ग में अपने अधिकार के लिए चेतना अवश्य बढ़ी है।

साभार :
बहुजन नायक
मान्यवर कांशीराम स्मृति ग्रंथ
पेज संख्या 103
एस. एस. गौतम

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।